सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-272
05/06/2018

समाज में अंततोगत्वा इज्जत उसी की होगी, जो काम करेगा और यही जीवन का मकसद होना चाहिये :– मुख्यमंत्री

पटना, 05 जून 2018 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज युवा जदयू का संपूर्ण क्रांति एवं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित युवा संकल्प सम्मेलन का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया। सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र के बापू सभागार में आयोजित इस युवा संकल्प सम्मेलन में सम्मिलित मुख्यमंत्री ने सबसे पहले संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक श्री अभय कुशवाहा ने पुष्प–गुच्छ, अंगवस्त्र एवं पगड़ी भेंटकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

युवा संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने सारण, वैशाली, पूर्वी चंपारण, गया, नवादा, जहानाबाद एवं पटना महानगर युवा जदयू के सात जिलाध्यक्षों के बीच फलदार वृक्ष का वितरण किया। इस संकल्प सम्मेलन में शामिल युवा जदयू के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के समक्ष पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर एवं अनुकूल बनाने हेतु हरसंभव प्रयास करने के साथ–साथ पूरे बिहार में नशाखोरी, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान अनवरत जारी रखने का संकल्प लिया। युवा जदयू के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया।

युवा संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभय कुशवाहा, युवा जदयू के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को शानदार आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण क्रांति और विश्व पर्यावरण दिवस का अवसर है और इस मौके पर युवा जदयू ने युवा संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ साथ बाल विवाह, नशाखोरी और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ निरंतर जागरूकता अभियान चलाने का आज जो लोगों ने संकल्प लिया है, वह जनहित में है। पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ आज जो छेड़छाड़ हो रहा है वह बहुत ही खतरनाक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तो राजनीति में सिर्फ जुबानी जंग जारी है, किसी को करना कुछ नहीं है सिर्फ दिन भर में 5 बार ट्वीट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में मीडिया पर कांग्रेस के शासनकाल में प्रतिबंध की बात हो रही थी लेकिन हम तो मीडिया स्वतंत्र रहे, इसके हिमायती रहे हैं। सवालिया लहजे में उन्होंने कहा कि आजकल 24X7 चैनल है और ऐसे अनाप–शनाप बोलने वाले लोगों को दिखाया जा रहा है, इससे राज्य समाज का क्या भला होगा ? मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे जब भी विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री या किसी भी रुप में लोगों ने मौका दिया, मैं सदैव पूरी निष्ठा, लगन और प्रतिबद्धता के साथ लोगों की सेवा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1974 में पटना के इसी गांधी मैदान से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जो लोहिया की सप्तक्रांति थी। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे शख्सियतों ने अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जो काम किया इसके अलावा देश के पास और क्या है। सिर्फ उनके ही काम और कहे हुए बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमलोग तो आज यहां तक पहुंचे हैं, यह छात्र आंदोलन और युवा आंदोलन की देन है लेकिन आज युवा या छात्र राजनीति में अपने बलबूते नहीं बल्कि परिवार के बूते पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के लोग समाज की सेवा का संकल्प लेकर अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति कुंठित होकर गर्त में चली जाएगी। समाज में शांति, सद्भाव एवं कानून का राज कायम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज राजनीति अपने सही धारा से भटक चुकी है और जब तक युवाओं और छात्रों के बीच एक नया आंदोलन शुरु नहीं होगा तो नई पीढ़ी के लोग राजनीति में नहीं आ पायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कल पद की लालसा रखने वाले ज्यादातर लोग ही राजनीति में आते हैं और जब उन्हें पावर मिल जाता है तो उसका दुरुपयोग कर धनार्जन और घचपच करने में जुट जाते हैं लेकिन हम तो समाज सुधार के काम में निरंतर लगे रहते हैं और इस दिशा में तेजी से काम भी हो रहा है ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में हमलोग लगे हुए हैं और इस दिशा में काम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में दो साल पहले लोक शिकायत निवारण कानून लागू किया गया और उससे पहले 2011 में लोक सेवा का अधिकार कानून लागू किया गया ताकि सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। आज स्थिति यह है कि 18 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लोक सेवा अधिकार कानून के तहत सेवाएं प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा का अधिकार कानून लागू होने के पूर्व सर्टिफिकेट बनाने के लिए कार्यालयों में औसतन 200 रुपये घूस लोगों को प्रत्येक काम के लिए देने पड़ते थे। इस प्रकार लोक सेवा का अधिकार कानून की मदद से लोगों का 3600 करोड़ रुपये घूसखोरी में जाने से बचा है। उन्होंने कहा कि 2015 में बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम बनाया गया, जिसे 5 जून 2016 को लागू किया गया। अब इसका अध्ययन और आकलन कराने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नई पीढ़ी के लोगों और छात्र–छात्राओं ने युवा संकल्प सम्मेलन के माध्यम से बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा नशाखोरी के खिलाफ निरंतर अभियान चलाने का संकल्प लिया गया है या कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने भी प्रोहिबिशन लागू किया था लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि हमने बिहार में शराबबंदी लागू की, जिसका चार करोड़ लोगों ने मानव श्रृंखला में खड़ा होकर समर्थन किया लेकिन आज जिनलोगों को शराबबंदी से तकलीफ हो रही है, वे विश्लेषण करने में जुटे हैं और तरह–तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हुई है लेकिन 90 प्रतिशत लोग जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा शराब सेवन में खर्च कर दिया करते थे, उनको फायदा हुआ है। शराबबंदी से गरीब–गुरबों के घर में खुशहाली लौटी है, पूरे बिहार में शांति और सद्भाव का माहौल कायम हुआ है, पारिवारिक कलह खत्म हुआ है। साथ ही लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आया है। चंद लोग जो अब भी इस धंधे में या उसका सेवन करने में जुटे हैं, वे पकड़े जा रहे हैं।

शराबबंदी पर कड़ी निगरानी रखने के लिए आई0जी0 प्रोहिबिशन भी बनाया गया है। सरकारी तंत्र के जो कुछ लोग गड़बड़ करने में लगे हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें जो भी भुगतना पड़े हम भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम इसकी निरंतर समीक्षा करते रहते हैं और जल्द ही पुनः इसका विश्लेषण करेंगे। उन्होंने कहा कि कानून के प्रावधान का दुरुपयोग सरकारी तंत्र के लोग कर रहे हैं, उसका भी समाधान समीक्षा करके निकाला जाएगा। शराबबंदी के कारण जिनलोगों के समक्ष जीवकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हुई है, ऐसे लोगों का सर्वेक्षण कराकर उनके लिए पांच–छह तरह का रोजगार सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब भी कुछ ऐसे अलग–थलग परिवार हैं, गरीबी के कारण जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उन्हें स्वयं सहायता समूह और जीविका से जोड़कर रोजगार की तरफ आकृष्ट किया जाएगा ताकि ऐसे परिवारों को किसी तरह का कष्ट नहीं उठाना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे बिहार में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इसमें यह पाया गया है कि लड़कों के मृत्यु दर में तो कमी पाई गई है लेकिन लड़कियों के मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि 11 मार्च 2017 को जदयू महिला प्रकोष्ठ द्वारा एक कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें इसको लेकर अभियान चलाने की हमने बात कही थी। उन्होंने कहा कि लड़कियों का भी सम्मान हो, बेटे की तरह बेटियों का भी इलाज हो सके, इसके लिए बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई है, इसका मकसद बाल विवाह को रोकना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 2 वर्ष की उम्र पूरा करने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार की तरफ से 5,000 रुपये मुहैया कराया जायेगा, जिसमें लड़की पैदा होने के वक्त उसके माता–पिता के खाते में 2000 रुपये, एक साल बाद आधार से लिंक होने पर 1,000 रुपये और 2 वर्ष की अवधि तक पूर्ण टीकाकरण होने पर पुनः 2000 रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहले से चल रही पोशाक योजना की राशि में भी बढ़ोत्तरी की गयी है, जिसमें कक्षा एक एवं दो में पढ़ने वाली लड़कियों को 400 रूपये की जगह 600 रुपये, कक्षा 3 से 5 में पढ़ने वाली बालिकाओं को 500 के बजाय 700 रुपये, कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए 700 की जगह 1,000 रुपये और कक्षा 9 से 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को अब 1,000 की जगह 1,500 रूपये की राशि पोशाक के लिए प्रदान की जाएगी। किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 7वीं से 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियों को सैनेटरी नैपकिन के लिए पहले जहाँ 150 रुपये सालाना लड़कियों को दिये जाते थे, अब उनकी जगह उन्हें 300 रुपये प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए इंटरमीडिएट पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 10,000 रूपये की राशि मुहैया कराने का राज्य सरकार ने फैसला लिया है, वहीं ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये मुहैया कराने का भी राज्य सरकार ने निष्चय किया है, वह चाहे कुंवारी हो या विवाहित। इस प्रकार एक लड़की के पैदा होने से ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने तक सरकार उसपर 54,100 रुपये खर्च करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में हर क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है, वह चाहे बुनियादी ढांचे का विकास हो या सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान। उन्होंने कहा कि इन सब कामों में कुछ लोगों की दिलचस्पी नहीं है, सिवाय अनाप–शनाप भाषण देने की। आज जो लोग भाषण दे रहे हैं, उन्हें जब पावर मिला था तो जनहित में कुछ भी नहीं किया और अब एस0सी0/एस0टी0 की चिंता उन्हें सता रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी लड़का या लड़की बी0पी0एस0सी0 की प्रारंभिक परीक्षा अगर पास करता है तो उसे 50000 रुपये मदद के रूप में राज्य सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा ताकि वह अगली परीक्षा की तैयारी कर सके। वहीं संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले ऐसे छात्र–छात्राओं को 100000 रुपये का मदद मुहैया कराया जा रहा है। अति पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं को भी इसका लाभ दिया जा रहा है और अति पिछड़ा वर्ग में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जोकीहाट में हम वोट मांगने नहीं गए थे। हमने लोगों से यह आग्रह जरूर किया था कि काम को आधार बनाकर वोट करें। हमें वोट की चिंता नहीं है और न ही जातीय समीकरण में ही मेरा यकीन है। उन्होंने कहा कि हमारे 12 साल के कार्यकाल में किए गए कामों के इतिहास को उठाकर आप देख सकते हैं। 12.5 प्रतिशत गरीबों के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, आज उन्हें स्कूल तक पहुंचाया गया है। स्कूल में जाना ही अपने आप में शिक्षा है। उन्होंने कहा कि न्याय के साथ हमने पूरे बिहार में विकास का काम किया है। समाज के हर तबके के साथ–साथ बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले बिजली के बारे में बिहार में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, आज उस बिहार के गांव गांव तक बिजली पहुंच गई है और इस साल के अंत तक हर घर को बिजली मुहैया करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2012 में स्वाधिनता दिवस के मौके पर मैंने कहा था कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे तो 2015 में वोट नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और जिस तरह से बिहार में बिजली का प्रसार गाँव–गाँव तक किया गया है अब उसे केंद्र ने भी अपनाया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पहले जहां तीन करोड़ का बजट हुआ करता था, आज 800 करोड़ रूपये का बजट बन रहा है, केवल बजट ही नहीं बन रहा है बल्कि योजनायें भी बन रही है। अल्पसंख्यक समाज के जो युवा हैं, अगर वे कुछ काम या रोजगार करना चाहते हैं तो हम मदद देंगे, इस मद में जहॉ पहले 25 करोड़ रुपए की मदद दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 100 करोड़ रूपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसों की पहले क्या स्थिति थी, यह आप सब भलीभांति जानते हैं। हमारे कार्यकाल में तो मदरसा या संस्कृत विद्यालय वाले लोग सड़क पर नहीं पिटाए ?

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी रही है। मेरी इच्छा और प्रतिबद्धता है, समाज के हर तबके और हर क्षेत्र का विकास करने का। उन्होंने कहा कि कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, समाज सुधार, समाज कल्याण के साथ–साथ सात निश्चय पर भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, इससे समाज में परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में लोगों का प्रयास है जदयू को एलिमिनेट कराने का लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि काम के प्रति विश्वास रखने वाले लोगों की कमी नहीं है, जो काम के आधार पर फैसला करते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, अपराध और सांप्रदायिकता को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में हमलोगों ने निर्णय लिया कि जदयू का सदस्य वही बनेगा, जो एक पेड़ लगाएगा और 12 लाख लोगों ने उस समय पेड़ लगाया था। उन्होंने कहा कि बिहार में हरित आवरण 9 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया गया था। अब उस लक्ष्य को बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया गया है, इसके लिए हरियाली मिशन के तहत 24 करोड़ पेड़ लगाने का तय किया गया, जिसमें से अब तक 20 करोड़ पेड़ लगाये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज इस युवा संकल्प सम्मेलन में पौधों का वितरण हुआ है, यह बहुत ही अच्छा काम है। समाज में अंततोगत्वा इज्जत उसी की

होगी, जो काम करेगा, जीवन का यही मकसद होना चाहिए। गड़बड़ करने वाले की कभी इज्जत नहीं होती है और न ही लोग उसे पूछते हैं। उन्होंने कहा कि लोग नेता तो बनते हैं लेकिन कुछ लोगों का यह मकसद ही होता है कि जब वह पावर में आए, तब वह गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करें, जो जदयू में रहकर कतई संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के वैसे ही लोग उभरकर राजनीति में आगे आएंगे जो मन में सेवा का भाव रखते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल करने की चिंता छोड़ लोगों कि खिदमत निस्वार्थ भाव से करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में एक तरफ अच्छी सोच वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ एक अलग किस्म की सोच रखने वाले भी लोग हैं। युवा संकल्प सम्मेलन में मौजूद लोगों से आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस सम्मेलन के माध्यम से आपने जो संकल्प लिया है उस पर अमल कीजिएगा।

युवा संकल्प सम्मेलन को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री वशिष्ठ नारायण सिंह और मद्य निषेध, उत्पाद, निबंधन एवं ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी संबोधित किया

इस अवसर पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संगठन सह सांसद श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री विनोद प्रसाद यादव, विधायक श्री निरंजन मेहता, विधायक श्री सत्यदेव कुशवाहा, विधायक श्री मेवालाल चौधरी, विधायक श्री अशोक सिंह, विधान पार्षद श्री नीरज कुमार, विधान पार्षद श्री संजय कुमार सिंह उर्फ गांधीजी, विधान पार्षद श्री रामेश्वर महतो, विधान पार्षद श्री खालिद अनवर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, युवा जदयू से जुड़ें पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

******